

T

शासनानदेश संख्या: 27 / 2018 / XXVII(9) / स्टाम्प-80 / 2009 दिनांक 12 जनवरी, 2018 के क्रम में जनपद रुद्रप्रयाग की सम्पत्तियों का संशोधित सफिल दरें नई मूल्यांकन सूची निम्नलिखित प्रकार दिनांक जनवरी, 2018 से प्रख्यापित/नियत की जाती है।

**तहसील रुद्रप्रयाग :- नगरीय क्षेत्र**

क्र. सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर..... (BASE RATE)										
		प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हैक्टॉ लाख रु० में)	51 मीटर से अधिक तक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक	बाहुमजलीय आवासीय भवन से स्थित आवासीय परलैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी पक्का / कच्चा
1	अधिसूचित परिषद अन्तर्गत ग्राम तिलापी, सुमरपुर।	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अधिसूचित परिषद अन्तर्गत ग्राम तिलापी, सुमरपुर।	104.66	99.88	95.15	1180.00	1126.00	1073.00	24431.00	32076.00	30217.00	14911.00	13052.00
2	नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत आने वाले ग्राम नाकोट(अगस्त्यमुनि), बनियाडी(तिजयनगर)।	104.66	99.88	95.15	1150.00	1098.00	1045.00	24404.00	32016.00	27973.00	14911.00	13052.00
3	नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के अन्य राजस्व ग्राम बेला सान्दर उमसौला सौड खुरड।	103.40	98.72	94.05	1120.00	1068.00	1018.00	24371.00	31961.00	27984.00	14911.00	13052.00
4	नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम माई की भण्डी तौक	87.12	83.16	79.20	968.00	924.00	880.00	24222.00	31669.00	29821.00	14911.00	13052.00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

5	ड	सौंझी, अमोठा (वेड्याड) सिल्ली।	75.02	71.61	68.20	847.00	809.00	770.00	24107.00	31438.00	29579.00	14911.00	13052.00
---	---	-----------------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	----------	----------	----------	----------	----------

तहसील रुद्रप्रयाग :- अर्द्धनगरीय क्षेत्र

क्र. स.	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / य / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / य / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (BASE RATE)										
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हेक्टर 0 लाख ₹0 में)	प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (आवासीय/व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० ₹0 में))	0-50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी. तक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक	बहुमंजिलीय आवासीय भवन से स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वर्ग मीटर / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान
1	क	राजस्व ग्राम, नगरसू (शाल्तीर), भेडगाव (नगरसू)।	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	16
2	ख	राजस्व ग्राम, रूंडा, तिलावाडा, गीडभूतेर, भैठाणा, रामपुर	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	16
3	ग	रूपुरी, सतेशवाला, बोरा (दुर्गाधर), आखणी (चोपला)।	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	16

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

तहसील रुद्रप्रयाग :- ग्रामीण क्षेत्र

क्र.स.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / गणेश श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की	सामान्य दर (BASE RATE)											
			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हेक्टेर लाख रु० में)	प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि (आवासीय / व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रु० में)	बहुमंजरीय आवासीय भवन से स्थित	वणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	अन्य वणिज्य प्रतिष्ठान	शैर वणिज्यक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी पक्का / कच्चा					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
क	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की	प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हेक्टेर लाख रु० में)	0-50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक	आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वणिज्य प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी पक्का / कच्चा	
ख	नरकोटा नौगांव लमा बौलाणी, खाकरा, देवीमाण्डा, सिरवाण्डा, शिवानन्दी, चिवाड़, लमरी, सौडलपाकलना, कलना, गगतल, नैसागांव।	65.84	62.84	59.85	75.10	71.93	75.52	79.12	76.10	15929.00	21168.00	19394.00	12307.00	10322.00
ग	शिमलाली, क्यूडी, कुण्डदानकोट, चोपडा, भैसारी, देवलख, पत्नीजैखण्डा, टेमना, सणारू, पालीतल्ली, गन्धारी, जोन्दला, कवीली, कुरझण, लदोली, शिरोली, दिउली, जसोली, बीना, थलारू, घुयेली।	24.36	23.25	22.45	283.00	271.00	258.00	14904.00	19735.00	17994.00	11876.00	10125.00		
घ	काण्डा, बावई, मयकोटी, सन, नवारू, फतेहपुर मोल्दा, सिन्दवालगांव, नौगावलगासिन्दवालगांव, काण्डई, छतौडा, वातेली, वामरू, बाडा, डुग्रा, सिरकोटलगाडुग्रा, चौथला, शिखपुरी, मोलछडा, स्यूणी, मणोटालागारस्यूणी, गहड, दानकोट, नौरू, बडकोट, मुर्यागाव, डुण्डोली, बणसो, धारकोट, वरसूडी, पिपली, स्यारी, भूता, चौण्डासिराई, टोण्डा, सोन्दा, दरमोला, कमेडा, कथीकनान्दला।	17.56	16.76	15.97	204.00	195.00	185.00	15022.00	19585.00	17845.00	11876.00	10125.00		
ङ	रजाश्रीवास, कोलूमन्, वैजीकाण्डई, आगरजवाडी, कोखण्डो, जमगीकाण्डई, बभथापला, गोरणा, कुमोलीमलकोटी, कर्णधार, सौडमटगाव, कालोतगावदरमवाडी,	16.70	15.94	15.19	187.00	178.00	170.00	15012.00	19554.00	17814.00	11876.00	10125.00		

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

<p>खलगाण, तोलव, भरगाडी, नारी, चमेली, रुमरी, गणगू, मातखी, बडेथ, भौसात, र्णालडेभा भटवाडी(अभारख्यमुनि), सितकोट, कोटीबडकोटी, मढांग, कोठगी, छिनका, सिन्दवाणीतल्ली, सिन्दवाणीमल्ली, नगरलगणगारी, नरसुलगणगारी, नागडांडा, सारी, झालीमद, चमसीत, धारकोट(चोपडा), बजुण, कोदिभा, कोटभरला, कोटतल्ला, गजारा, तूना, गारडनगाणुनाड, बरसू, तोली, गीरो, स्त्रीथ, गारडशापली, पीडा, निघणी, बंगोलीतली, बंगोलीतली, सुनाऊ, जैटा, कदेलगाव, बेरागना, कुलातोली, आंकसेरा कोटली, गढखूनलगाडैटी, ऊफराईखेत, मरगाव(भरगाव), टैटी, जुन्टई, सुराडी, पाटा, सेरा, खररोड, बारी, गवाण, सोराखाल, रिमली, संमल्था, माथगाव, महरगाव, मोसड, शेडिया, बेजी, डागी, गुनाऊ ।</p>													
<p>व उरवाली, बछनी, तडगा, भटवाडी(धिमतोली), कण्डीमलारा, बौरामल्ला, बौरामतल्ला, इशाला, महडतल्ला, महडमल्ला, जंरखाड, डूगा, तलगड, थपलगांव, मलनाऊ, फलासी, गडील, धामक, वारीडांग, लोदला, गडसारी, चमस्वाडा, चोपडा(भयकोटी), बण्डीकोट, बरिसलपवेक, बमोली, चौकीबरिसल, तमिण्ड, धौलसारी, पोला, वौढालगाखल्याणा, रूपण्डकामक, डोभा, खाल्युं, चौण्ड, भटवाडी(सारी), बिजराकोट, भैरलगणविजराकोट, गारडनगाणविजराकोट, निर्वाली, गडमिल, पालीमल्ली, डुगी(चोपडा), उत्तसू, सैभलसारी, पाटीलगणकोठगी, भेडगाव(चोपडा), चापड, तोलगाव, मोला, लंगालगावतोली, डोव, घुडसाल, सीताकोटी, चौशैलगणघुडसाल, क्वाली, तोरियाल, गडगू, खरकोटा, सिमतोली, धणकील, भुनकावल्ला, भुनकापल्ला, काण्डा, पांजरी, अंधड, धारतोली, डुगी(रतूडा), लुगई, र्खेडी, ब्याकी, धरिड्यालका, ग्वेफड, धावो, खिनवाड, स्ती-नसेरा, रानीगढ, हगणी, खेरपाणी, कलेथ, गॉस्युं, छातीथाल, ढामणी,</p>	10.20	9.73	9.27	125.00	119.00	113.00	14956.00	19436.00	17695.00	11876.00	10125.00		

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

<p>मिथुन, मकर (वेडाखाल),  रामपुर (वेडाखाल), लोनाह, महडवलेली,  खोतरसेरा, काण्डभार, भद्रसगाडुगा,  बादिसु नैना कुलनावास, नाकर,  बाणभद्रमल्ला, वणभद्रतल्ला, सकरोडी,  स्थालखेत, खोबरभासिपली, कमाळी,  पणडारु हुंभरा (सोयाखाल), कोटली, सतनी,  कफना, थापली, सवन्धाणा, तरवाडी, रसीली,  सेम, डुंगरी (जवाडी), मल्यासूमल्ला,  मल्यासूमल्ला, आपडाला ।</p>																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

तहसील जखोली :- अर्द्धनगरीय क्षेत्र

साधारण्य दर..... (BASE RATE)

क्र. सं.	ग्राम / मोहल्लो / राजस्व ग्रामो की	प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि (आवासीय / व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रु० में )				प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रु० में )				वर्ग मी० पर स्थित आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वर्ग मी० पर स्थित भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	द्वितीय श्रेणी पक्का / कच्चा
		0-50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी. तक	201 मीटर से अधिक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक	10	11		12	13		
1	क	72.36	69.12	65.88	801.00	764.00	729.00	19890.00	27145.00	25326.00	14094.00	11896.00		
2	ख	33.48	31.86	30.24	415.00	396.00	378.00	19618.00	26411.00	24586.00	14094.00	11896.00		

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

तहसील जखोली :- ग्रामीण क्षेत्र

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की संख्या	सामान्य दर (BASE RATE)													
		प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हेक्टेर लाख ₹0 में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि (आवासीय/व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी0 में))			अर्द्धकृषि बहुमूल्य आवासीय भवन से स्थित आवासीय परिसर (प्रति वर्ग मी0)				वणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		अन्य वणिज्य प्रतिष्ठान	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	जखोली, देवल, लखाड, लजूडी, बजौरा, ममणी, उरौली, गोरी, उछना, कपणिया, बख्खाड, सिंघई, वरसिर, काठियाडा, चन्दी, बुढना, खरियाण, तुनेटा, पीठी, चौंसा, सेमा, लेखलावडी, बैनोली, श्रीकोट, काण्डा, रतनपुर, घघड, लौंगा, झोभा जाखाल, विसणगांव, लडियालगांव।	19.42	18.37	17.58	288.00	275.00	262.00	15403.00	20123.00	18343.00	12106.00	10321.00			
2	खखवाडीतल्ली, लिरवाला, कोट, सन, धारकुडी, गैठणा, बधाणी, जागतोली, जखवाडीमल्ली, मांजणा, धारकोट, नाग, पुरियाणा, अठोला, हरियाली, विन्गडी, कण्डासी, मरगांव, जौली, जखनोली, तैला, शिशां, टाट, कुमडी मुसादूंग, जखोलीखडभा, शालीखडभा, मुन्नादेवल, सोम, कोटी, डगावालगवांव, घणतगांव, धरियाजं.	18.37	17.32	16.53	231.00	220.00	210.00	15345.00	20013.00	18233.00	12106.00	10321.00			
3	ग सकलाना, महरगांव, जाखणी, पीणतूली, कोटी, धार्यौं, मुन्गाधर, भणगा, खाल, बगजीवाला, नन्दगणगांव, कुशियाली, भटवाडी, जखोलीतल्ली, जखोलीमल्ली, उदियाणगांव, पलोटे, कोट, डानगी, नौली, शिलगांव, धरियाण, थापला,	17.51	16.99	16.06	216.00	204.00	195.00	15043.00	19606.00	17865.00	11875.00	10124.00			

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

4	घ	वहीला, धनकुडी, बरसासे, भिमली, भवाणगांव, धाली, चाका, फलाटी।	10.30	09.78	09.27	147.00	140.00	133.00	14976.00	19477.00	17736.00	11875.00	10124.00
		पूना, सिरवाडी, पुनारगांव, मखेत, धरडा, रयालदुरी, चांपड, रहड, उरोला, कुराणेला, धनकुरली, बरसासे, लडिगाथू।											

तहसील ऊखीमठ :- नगरीय क्षेत्र

क्र. सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की नामांश	सामान्य दर (BASE RATE)													
		प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हेक्टर 0 लाख रु० में)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवासीय / व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रु० में )			बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय परिसर (गुण परिसर प्रति वर्ग मी०)		वर्गिज्य भवन (गुण परिसर प्रति वर्ग मीटर )		गैर वर्गिज्यक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)		द्वितीय श्रेणी पक्का / कच्चा)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	क	माण्डोी उर्फ गुदकाशी	93.17	88.93	84.70	1186.00	1132.00	1078.00	20708.00	28358.00	26400.00	14355.00	12117.00		
1	ख	श्री केदारनाथ अधिसूचित क्षेत्र नगर पंचायत	85.67	81.77	77.88	1077.00	1029.00	979.00	24327.00	33033.00	33174.00	16060.00	14207.00		
2	ग	ऊखीमठ नगर पंचायत क्षेत्र इगवाडी उर्फ ऊखीमठ, 1 गोधी नगर वाई, 2-उदयपुर वाई, 3-औंकारेश्वर वाई, 4-भटेश्वर वाई(ससासे)	62.92	60.06	57.20	847.00	809.00	770.00	24107.00	34490.00	29579.00	14911.00	13052.00		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**तहसील ऊखीमत :- अर्द्धनगरीय क्षेत्र**

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर.....(BASE RATE)													
		प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर(प्रति हेक्टे० लाख रु० में)		51 मीटर से अधिक तक		201 मीटर से अधिक		प्रमुख मार्ग पर स्थित अर्कृषि भूमि (आवासीय/व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रु० में))		0-50 मीटर तक		51 मीटर से 200 मीटर तक		201 मीटर से अधिक	
1	नाला, कोणगाढ(सीतापुर), फाटा, न्यालसू(रामपुर) गौरीकुण्ड, सोनप्रयाग बाजार, सांकरा, भटवाडीसुनार ।	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	भीरी, जालईसुसाल(बाँसबाडा)	47.52	45.36	43.20	653.00	624.00	594.00	19845.00	26876.00	25040.00	14094.00	11896.00			

**तहसील ऊखीमत :- ग्रामीण क्षेत्र**

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर.....(BASE RATE)													
		प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर(प्रति हेक्टे० लाख रु० में)		51 मीटर से अधिक तक		201 मीटर से अधिक		प्रमुख मार्ग पर स्थित अर्कृषि भूमि (आवासीय/व्यवसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रु० में))		0-50 मीटर तक		51 मीटर से 200 मीटर तक		201 मीटर से अधिक	
1	गवनीगावा, गुटोलगावा, सेमीतल्ली, चोपला ।	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	मैंछणडा, भैंसाही, भतसम, द्यंग, खाट, भिवाला ।	59.48	57.48	54.07	785.00	750.00	714.00	15876.00	21079.00	19294.00	12107.00	10322.00			

*(Handwritten signature/initials)*



ग	दैन. रा. रा. पू. रा. शिवाग्राम, शेरसी, तुन्नी मंगली, बडारू गिराडीमाल, शिवाग्राम।	39.66	38.31	36.46	567.00	541.00	515.00	15376.00	20281.00	18535.00	11876.00	10125.00
घ	अरुवाडी, जमलोक गोमजगई, सारी, कालीमठ, बनियाकण्ड, दुगलविट्टा, मयकू, किमणा, पदली।	16.99	16.68	15.86	306.00	293.00	278.00	15131.00	19791.00	18040.00	11876.00	10125.00
ङ	जलईसुरसाल, कण्डारा, दौला, कन्यास वयूजा, कणसिली, गणज, आसमा, धारसेमी, कोटमा, कविल्ला, जालतल्ला, जालमल्ला, चौमसी, राकलेक, जनियाणा, सेंसी, पाली, फापज, मेट्ट, परकण्डी, भीमी, दिवलीशणिग्राम।	11.33	10.81	10.30	181.00	173.00	165.00	15012.00	19544.00	17804.00	11876.00	10125.00
च	जगोट, कभसाल, कोन्धा, केडाभल्ला, किणजाणी, लमगौण्डी, ल्वारा, देवर, बाणरू, देवशाल, धरवालगौव, हरूण, कोखीतल्ला, कोखीमल्ला, तुंगनाथ, फेशीबासा, मुण्डारू, तान्दला, तौल्यू, धार, गाडी, सेमलडुंगर, ककोला, जहमी, शेरतोक, तिल्यू, बुलवा, मिरिया, मटखणी, कुणजेठी, तयुडी, लदपुर, तरसाली, गैर, तैल, यारोकी, जुगायु।	09.06	08.65	08.24	159.00	151.00	144.00	14992.00	19498.00	17757.00	11876.00	10125.00
छ	कंजातल्ला, किरमोडिया, देवगण, सत्या, खेडा, तुलगा, खाल, कसीफसालत, चौण्डी, शिवाग्री, नमोली, अकडधार, ल्वाणी, सेमकुसाला, जामु, लौल-खेडा, धानी, मुनकटिया, खोडिया, गैर, सरनालोसन।	07.93	07.57	07.21	142.00	135.00	129.00	14976.00	19467.00	17726.00	11876.00	10125.00

22

Barman

	गरुडिया, कोठडा, जुरानी, रवीता, सिलगोद, तनकिला, कुण्डलिया, कुरेड, क्याक, कन्धा, उखिण्ड, माधली, कुंजलपुर, बिरौली, खेतीनान्दला, कालई, अखेडी, मचकण्डी, सैडू, दिलमी, काणडा, हुड्डू, बरगाती, सेमार, कैल, जगपुडा, दुवाडखू, रेंगू, जैखण्डा, सेनागढसारी, बलसुण्डी, अजयपुर, कलाकोट, कुणजती गुगली, जयकण्डी, तलसारी, महसगोव, शीशी, बाडवतला, बाडवमल्ला, बाडवविचला, डुग्री, कांदी, जाबरी, तैवडीसेम, मोली, गौण्डार, ।																			
ज	रैल, तोषी, धिनुरपानी, रामबाडा, श्रमालासी, श्रीरिंग, पैलिंग, गरवाली, बढीलमगाजगमीबगवान, सरुना, धिलीण्ड, थली, स्वामि, जगमीबगवान, बेडूला, पौण्डार, राजकवौकी, सेनावकछडा, भनकण्ड, पाव, दिलगवाड, चिनागवाड, लक्ष्मणवाड, गुजरवाड, गुण्डारवाड, कन्धास, आसोडिडिया, बाजगडू, गडगू, औगात्मगाकमसाल, गवनीचकववाड, व्यूखी, खुन् ।	06.79	06.48	06.18	85.00	81.00	77.00	14925.00	19359.00	17618.00	11876.00	10125.00								




तहसील बसुकेदार :- अर्द्धनगरीय क्षेत्र

क्र. सं.	ग्राम / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (BASE RATE)													
		प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हेक्टे 0 लाख रु० में)		प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवसीय / व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रु० में))		प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवसीय / व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रु० में))		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)		वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)		द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा)	
1	3	0-50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी. तक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक	201 मीटर से अधिक	10	11	12	13	14	
2	4	49.68	47.52	45.36	653.00	626.00	594.00	19845.00	26876.00	25040.00	14094.00	11896.00			

तहसील बसुकेदार ग्रामीण

क्र. सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	सामान्य दर (BASE RATE)													
		प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर (प्रति हेक्टे 0 लाख रु० में)		प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवसीय / व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रु० में))		प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवसीय / व्यावसायिक की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मी० रु० में))		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)		वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)		द्वितीय श्रेणी सेमी पक्का / कच्चा)	
1	3	0-50 मीटर तक	51 मीटर से अधिक 200 मी. तक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	0-50 मीटर तक	51 मीटर से 200 मीटर तक	201 मीटर से अधिक	201 मीटर से अधिक	10	11	12	13	14	
2	4	18.40	17.35	16.53	231.00	220.00	210.00	15346.00	20013.00	18223.00	12107.00	10322.00			

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*


ग	उच्छोला, मुनालगाव, बकसीर, माथ्यागाव, डोगी, खोड, डोगी, गोरसेरा, नागजगई।	10.20	09.73	09.27	147.00	140.00	134.00	14992.00	19498.00	17757.00	11876.00	10125.00
घ	डोगी, महडघट, सिल्लाबामणगाँव, चमराडा, सिनावटा, कोटी, डडोली, बडेथ, बस्टी, गुणावथार्क, सोगना, नैणीपौडार।	09.06	08.65	08.24	164.00	151.00	144.00	14976.00	19467.00	17726.00	11875.00	10125.00
ङ	चन्द्रापुरी, कथार्कबरसूडी, तिनसोली, फेगू, तालजामण, डमार, जौला, डुंगार, टाटलगाकेगू, टेमरियावल्ला, टेमरियावल्ला, हिमोला, पाटियं, भटवाडी(भीरी), बरम्वाडी, पौलाकुण्डलिया, नैली, कुण्ड, गदनु, हाट, नगरसाल, संगड, पाली, बोरोदेवल, स्यासू।	07.93	07.57	07.21	142.00	135.00	129.00	14925.00	19359.00	17618.00	11876.00	10125.00
च	बेड्डगाड, घटबगाड।	06.70	06.49	06.18	85.00	81.00	78.00	14904.00	19332.00	17593.00	11530.00	9830.00

B

D

जनपद—रुद्रप्रयाग में चारों तहसीलों हेतु वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक भवनों की प्रचलित किराया दर—

जनपद में नगरीय / अर्द्धनगरीय / ग्रामीण	वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग फिट)	गैर वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग फिट)	गैर वाणिज्य भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग फिट)	द्वितीय श्रेणी (सेमीपक्का / कच्चा)
	दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	
नगरीय	दर— ₹0 10.00	दर— ₹0 9.40	दर— ₹0 7.70	दर— ₹0 7.20
अर्द्धनगरीय	दर— ₹0 09.20	दर— ₹0 8.70	दर— ₹0 7.10	दर— ₹0 6.50
ग्रामीण	दर— ₹0 07.40	दर— ₹0 6.85	दर— ₹0 6.30	दर— ₹0 5.80

  
 (तीर्थ पात सिंह) 14/11/18  
 अपर जिलाधिकारी,  
 रुद्रप्रयाग ।

## सामान्य अनुदेशिका

1- यह मूल्यांकन सूची का भाग है।

2-

कृषि / अकृषि भूमि / बहुमंजिला आवासीय भवन / पलैट तथा वाणिज्यिक भवन / दुकान / प्रतिष्ठान के मूल्यांकन सम्बन्धी सामान्य निर्देश : -

(1) यद्यपि कृषि / अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि -

(क) कृषि / अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 05 मीटर या अधिक व 12 मी0 से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 05 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या

(ख) कृषि / अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या

(ग) कृषि / अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या

(घ) कृषि / अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान, 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

(2) वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।

(3) शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिनमें स्वचालित यांत्रिक सीढीयों (Escalator) का प्रयोग हुआ हो को छोड़कर बहुखण्डीय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तर्गत सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड प्लोर, अपर ग्राउण्ड प्लोर एवं मेजनाईन प्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेण्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगंठित मूल्यांकन में क्रमशः- 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगंठित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(4) ऐसी दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन, सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित है, के अनुसार एवं अनुलग्नक खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर के 1.10 गुना दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।

32

*Pravin*

- (5) एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो, के अन्तर्गत विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आंगणित मूल्यांकन में क्रमशः— 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आंगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- (6) 1000 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी, परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी,
- (7) उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, आद्योगिक विकास प्राधिकरणों, एवं जिला उद्योगकेन्द्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम सिडकूल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही वाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थानों के द्वारा निर्धारित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निर्धारण की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।
- (8) मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की सम्पत्तियों के अन्तर्गत विलेख पर सम्पत्ति के प्रमुख/मुख्य मार्गों के दोनों ओर की दूरी का मानक उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में निर्धारित मानकों के अनुरूप जिला स्तर पर जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- (9) मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्ग पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के खसरा नम्बरान की सूची विन्दु संख्या 8 में जिले के कलेक्टर के द्वारा निर्धारित दूरी के मानक के अनुसार सर्किल दर सूची में संलग्न की जायेगी तथा उक्त में अंकित खसरा नम्बरान की दूरी के आधार पर लेख पत्रों के द्वारा अंतर्गत भूमि/सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त से अन्यथा दूरी प्रदर्शित कर मूल्यांकन किये जाने की स्थिति में लेख पत्र की प्रति स्टाम्प एक्ट के सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत परीक्षण की कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रेषित की जायेगी।
- (10) कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 गुनी होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आंकलित दर से होगा।
- (11) किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, उक्त भूमि/आवासीय भवन अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।
- (12) बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित फ्लैट/ बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, बहुमंजिली आवासीय परिसर/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

32

*Signature*

6

- (13) विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के आवासीय / औद्योगिक / गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में स्वीकृति प्राधिकारी / संस्था / विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो, उसका विलेख में उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा, ऐसे स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप लाईसेन्स प्राप्त ज़ापटमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के स्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा एवं जिस भवन का निर्माण बहुत पुराना हो तथा उसका स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध न हो, उस दशा में लाईसेन्स प्राप्त ज़ापटमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के स्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा तथा निर्माण की श्रेणी के सम्बन्ध में लिन्टरपोश, टिनपोश अथवा फ्लैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
- (14) फ्लैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप आफ फ्लैट एक्ट 1975 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।
- (15) भूमि / सम्पत्ति के अन्तरण पर सर्किल दर की सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि / सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी / क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो, के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि अन्तरित भूमि / सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां / मोहल्लों / क्षेत्रों में स्थित नहीं है।
- (16) वाणिज्यिक / भवनों के मूल्यांकन में कोई द्वारा मूल्य देय नहीं होगा।
- (17) भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य द्वारा (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। फ्लैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।
- (18) भूमि / सम्पत्ति में बाउण्ड्री वाल के स्थित होने पर बाउण्ड्री वाल का मूल्यांकन रू0 1000 / - प्रति रनिंग मीटर की दर आंकलित किया जायेगा।
- (19) भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन जिला स्तर पर जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (20) टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।
- (21) किसी भी आद्योगिक इकाई में निहित निर्माण का मूल्यांकन, निर्माण की प्रकृति यथा लिन्टरपोश, टीनपोश निर्माण हेतु मूल्यांकन सूची में अंकित दर के अनुसार किया जायेगा।
- (22) किसी भी आद्योगिक इकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त इकाई में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एप्रूव्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।
- (23) मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग / क्षेत्र वार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित हैं तो विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि / सम्पत्ति की प्रकृति की निर्धारित दरों के अनुसार उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।
- (24) मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि / सम्पत्ति के समीपस्थ स्थल पर स्थित भूमि / सम्पत्ति की प्रकृति हेतु निर्धारित उच्चतम दरों से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।

52

Pawan



(25) मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों / प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिये गये उन भवनों से है, जहाँ से उन कम्पनियों / प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में यथा परिभाषित है।

(26) किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख "वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।

(27) मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा:-

(I) विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के, मूल्यांकन सूची में वर्णित क्षेत्रों यथा नगरीय / अर्द्धनगरीय / ग्रामीण आदि में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि / सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना आनिवार्य होगा।


(II) विलेख में विलेख के द्वारा अंतरित भूमि / सम्पत्ति के कृषि / अकृषि / आवासीय / अनावासीय / व्यवसायिक होने का उल्लेख किया जाना आनिवार्य होगा।

(III) विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1-टुकान 2-रेस्टोरन्ट 3-कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अर्न्तगत आच्छादित हो, अंकित किया जाना आनिवार्य होगा।

(IV) विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति का नगरपालिका का खाता संख्या / बंदोवस्त संख्या / खसरा संख्या / खेवट संख्या / राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि / सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहदी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख / मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना आनिवार्य होगा।


(V) विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति की चौहदी में वर्णित सड़क-सड़कों / मार्ग / मार्गों की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना आनिवार्य होगा।

(VI) पक्षकारों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेख, जिनमें स्टाम्प एक्ट के अर्न्तगत सर्किल दर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यकता होता है, में संलग्न किया जाना आनिवार्य होगा, जो विलेख का भाग माना जायेगा।

  
(तीर्थ पाल सिंह) 16/11/18

अपर कलक्टर / अपर जिलाधिकारी,

रूद्रप्रयाग ।

  
(मंगेश धिलिङ्ग्याल)

आई0ए0एस0

कलक्टर / जिलाधिकारी,


रूद्रप्रयाग ।

कार्यालय कलक्टर / जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ।

संख्या-1728 / पांच-01 (सर्किल रेट) / (2016-2017) दिनांक रुद्रप्रयाग जनवरी 16, 2018 ।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित ।

- 1- सचिव, वित्त अनुभाग-9, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 2- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी,
- 5- जिला निबन्धक, रुद्रप्रयाग ।
- 6- उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग / ऊखीमठ / जखोली / बसुकेदार ।
- 7- तहसीलदार, रुद्रप्रयाग / ऊखीमठ / जखोली / बसुकेदार ।
- 8- उप निबन्धक, रुद्रप्रयाग / ऊखीमठ ।
- 9- समस्त कार्यालयाध्यक्ष जनपद रुद्रप्रयाग ।

  
 अपर जिलाधिकारी, 16/1/18  
 रुद्रप्रयाग ।

**गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा।**

**क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका फार्मूला निम्नलिखित है:-**

नोट:- क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानित आयु-100 वर्ष मान कर किया गया है

निर्माण मूल्य में हास लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र:-  $D=PI-RD/100$  n RD= भवन की औसत आयु/100

D = हास मूल्य (Depreciated Value), P = वर्तमान मूल्य, N = कितने वर्ष पुराना (Age of Building)

कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण वर्ष गुणांक	कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण का गुणांक	कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण का गुणांक	कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण का गुणांक	कितने वर्ष पुराना निर्माण	क्षरण का गुणांक
1 Yrs	0.990	21	0.809	41	0.662	61	0.541	81	0.443
2	0.980	22	0.801	42	0.655	62	0.536	82	0.438
3	0.970	23	0.793	43	0.649	63	0.530	83	0.434
4	0.960	24	0.785	44	0.642	64	0.525	84	0.229
5	0.950	25	0.777	45	0.636	65	0.518	85	0.425
6	0.941	26	0.770	46	0.629	66	0.515	86	0.421
7	0.932	27	0.762	47	0.623	67	0.509	87	0.417
8	0.927	28	0.754	48	0.617	68	0.504	88	0.412
9	0.913	29	0.747	49	0.611	69	0.499	89	0.408
10	0.904	30	0.739	50	0.605	70	0.494	90	0.404
11	0.890	31	0.731	51	0.598	71	0.489	91	0.400
12	0.880	32	0.724	52	0.592	72	0.484	92	0.396
13	0.870	33	0.717	53	0.587	73	0.480	93	0.392
14	0.868	34	0.710	54	0.581	74	0.475	94	0.388
15	0.860	35	0.703	55	0.575	75	0.470	95	0.384
16	0.851	36	0.696	56	0.569	76	0.465	96	0.381
17	0.842	37	0.689	57	0.563	77	0.461	97	0.377
18	0.834	38	0.682	58	0.558	78	0.456	98	0.373
19	0.826	39	0.675	59	0.552	79	0.452	99	0.369
20	0.817	40	0.668	60	0.547	80	0.447	100	0.366

*Pravin*

(टीर्थ पाल सिंह) 16/11/18

अपर जिलाधिकारी,

रुद्रप्रयाग।